(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला को

प्रा.पत्र कमांक–17/17 निर्णय दिनांकः– 08/03/2018

बइजलास– कृष्ण गोपाल जोजन, (आर.ए.एस.)

–:: उनवान ::–

1. रामभगत मोदी आ0 स्व0 रामजीदास मोदी जाति महाजन निवासी मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा , राजस्थान

–प्रार्थी–

–:: बनाम ::–

1. रामशरण आ0 स्व0 रामजीदास मोदी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 16–17 बी तलवंडी कोटा, जिला कोटा , राजस्थान

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी – प्रार्थी की ओर से
2. श्री मुन्नालाल शुक्ला – अप्रार्थी की ओर से

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट जरिये विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की है कि

यह कि प्रार्थी ने उपर्युक्त शीर्षक का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

यह कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 11 की रकबा 0.16 हैक्टर , 14 की 0.58 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

उक्त गेप एरिया लाज क्षेत्र
खनन कार्य

(5)

उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार ए0एस0आई0 कम्पनी से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की जाकर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है।

यह कि अप्रार्थी लीज होल्डर है और गेप एरिया की लीज संख्या 45/91 अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु स्वीकृत की हुई है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी अप्रार्थी के उक्त गेप एरिया लीज क्षेत्र में स्थित है। तथा वर्तमान में अप्रार्थी का खनन कार्य खसरा नम्बर 14 के पूर्व दिशा में चल रहा है।

अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लीज में यह प्रावधान है कि स्वीकृत लीज क्षेत्र में यदि किसी प्राईवेट खातेदार की कृषि भूमि स्थित है तो नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा खनन कार्य से पूर्व धारा 89 एल0आर0एक्ट के प्रावधान अनुसार निर्धारित करा कर मुआवजा संबंधित खातेदार को भुगतान करने के बाद जिलाधीश महोदय की अनुमति से खनन कार्य करने को अधिकृत होता है।

यह कि अप्रार्थी ने लीज स्वीकृति से आज तक प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त आराजियात के लिये न तो आपसी बातचीत से मुआवजा राशि तय की है और न ही विधिवत् जिलाधीश महोदय से मुआवजा राशि तय करवाई है। और न ही उक्त भूमि पर खनन कार्य करने हेतु कोई सहमति प्राप्त की है। इस कारण अप्रार्थी को प्रार्थी की उक्त आराजियात में उक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना खनन कार्य करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि अप्रार्थी काफी सरजौर व्यक्ति है, और वह प्रार्थी की उक्त भूमि पर ताकत के बल पर बिना मुआवजा राशि निर्धारित करवाये और बिना मुआवजा रकम भुगतान किये तथा बिना प्रार्थी की सहमति से उक्त भूमि पर खनन कार्य करने पर आमादा है। इस हेतु उसने दिनॉक 11.05.17 को रात में ख0न0 14 के पूर्वी भाग पर खनन करने का प्रयास कियाजिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने बमुश्किल अप्रार्थी को रोका । अप्रार्थी के झगड़ा करने पर लिखित शिकायत थाना सुकेत में की गई है।

यह कि अप्रार्थी उस वक्त तो अपने कर्मचारियों को मौके से हटा ले गया किन्तु भविष्य में बिना मुआवजा भुगतान किये जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर खनन कार्य

अधिकारी
गंजमण्डी

उक्त गेप एरया लाज

करने की धमकी देकर गया है। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को उक्त आराजियात के संबंध में प्राप्त अधिकारों से वंचित होना पडेगा प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ती प्रार्थी को किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी। और प्रार्थी को कई मुकदमेबाजी में फॅसना पड़ जायेगा। प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जाएगा।

प्रार्थी का कैस प्राइमा फेसाई कैस है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपरिमित क्षति होने की भी पूर्ण संभावना है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की उक्त आराजी के वेस्ट डेमेज एण्ड एलाईनेट का खतरा उत्पन्न हो गया है।

आदि अन्य कथन कर प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस आशय की ,एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि, अप्रार्थी दौराने वाद प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 11 की रकबा 0.16 हैक्टर 14 की 0.58 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते रहने दे, उसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी परिजन , अथवा ऐजेन्ट से करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थी को सम्मन जारी किये गये । प्रति0 द्वारा जवाब जरिये विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मदो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि

प्रार्थी रामभगत ने यह प्रार्थना पत्र केवल धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत ही प्रस्तुत किया है। आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0 दी0 के तहत प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण होने से आगे चलने योग्य नहीं है और इसी स्तर पर खारिज़ होने योग्य है।

ग्राम सातलखेड़ी में स्थित हाल खसरा नम्बर 11 व 14 यद्वपि रिकार्ड में प्रार्थी रामभगत के नाम पर अवश्य दर्ज हो रही है उससे उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि वास्तविकताऔर वस्तुस्थिति यह है कि , साबिक खसरा नम्बर 9 जिसका हाल खसरा नम्बर 11 साबिक ख0न0 10 जिसका हाल ख0न0 14 बना है , अन्य खातेदारान् के साथ इन नम्बरान के खातेदार बल्देवसिंह आ0 रामकरण जाति जाट निवासी सातलखेड़ी जिला कोटा ने दिनॉक 10.06.1991 को अप्रार्थी के पिता श्री रामजीदास मोदी पुत्र श्री रामरिछपालजी मोदी निवासी मोड़क को मुआवजा राशि 201000/– दो लाक्ष दस हजार रूबरू गवाहान प्राप्त कर रसीद प्राप्ति राशि नियमानुसार जारी कर गवाहान के सामने राशि प्राप्त कर खनन कार्य हेतु सहमति देते हुये आराजी का कब्जा स्व0 श्री रामजीदास मोदी को मौके पर संभलाया और नियमानुसार सहमतिपत्र रामजीदास मोदी के पक्ष में निष्पादित करवा दियातभी से इस आराजी पर कभी भी कृषि कार्य नहीं हुआ है। बल्कि बल्देवसिंह के सहमति पत्र को मानते हुये खनिज विभाग ने नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकार किया जिसके अनुसार आज दिन तक अप्रार्थी का खनन कार्य सरेआम चल रहा है। इस तरह से उक्त वर्णित आराजियात खनिज संपदा होने से खनिज विभाग के नियंत्रण में होकर नियमानुसार अप्रार्थी लीज (पट्टे) के मुताबिक खनन कार्य कर रहा है। इस सत्य से प्रार्थी रामभगत पूरी तरह से परिचित है। इस आराजियात में खनिज विभाग का भी हित निहित है। प्रार्थी ने खनिज विभाग को पक्षकार बनाये बिना दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज होने योग्य है।

यह कि पूर्व खातेदार बल्देवसिंह ने मुआवजा राशि प्राप्त कर अप्रार्थी के स्व0 पिता के पक्ष में खनन कार्य का सहमति पत्र जारी किया क्योकि एक खातेदार पहले ही मुआवजा राशि प्राप्त कर खनन कार्य हेतु सहमति पत्र जारी कर चुका है ,इसलिये केवल रिकार्ड में नाम का अंकन हो जाने से प्रार्थी को मुआवजा राशि प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

खसरा नम्बर 11 व 14 में अप्रार्थी की खनिज लीज अप्रार्थी के नाम दिनॉक 16.01.2022 तक रिन्यु होकर अप्रार्थी का खनन कार्य आज दिन तक नियमित रूप से जारी है जिससे स्पष्ट है कि , इस आराजियात पर सन् 1991 से आज दिनॉक तक स्व0 श्री रामजीदास मोदी और अप्रार्थी का शान्तिपूर्वक आधिपत्य और अधिकारपूर्ण खनन कार्य

सरेआम चला आ रहा है। प्रार्थी रामभगत का कभी भी इस आराजियात पर कब्जा नहीं रहा है, उसने इस आराजियात पर कभी भी खेती नहीं की या कृषि कार्य नहीं किया है। इस तरह से प्रार्थी रामभगत के पक्ष में प्रथम दृष्टया दावा व प्रार्थना पत्र सही नहीं है। उसके हक में सुविधाओं का संतुलन भी नहीं है। इसलिये उसे किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका भी नहीं है। अपितु इस प्रकार प्रार्थना पत्र एवं एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थी अप्रार्थी के खनन कार्य को बन्द व बर्बाद कर अप्रार्थी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुॅचाना चाहता है। जिसकी उसे छूट नहीं दी जा सकती। एक पक्षी अस्थाई निषेधाज्ञा वेकेट होने योग्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज़ होने योग्य है।

यह कि अप्रार्थी व प्रार्थी के मध्य कई सालों से मुकदमाबाजी चल रही है , प्रार्थी रामभगत साधन संपन्न , प्रभावशाली और राजनैतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति है। और येन केन प्रकारेण उसका एकमात्र आशय अप्रार्थी को अपमानित करना , मानसिक व शारीरिकरूप से प्रताडित करना , आर्थिक रूप से हानि पहुॅचाना , और अप्रार्थी के व्यवसाय को बर्बाद करना है। इसलिये प्रार्थी ने झूॅठा दावा व प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया है। और पुलिस में भी अप्रार्थी के विरूद्व झूॅठे मुकदमें बनाना चाहता है, इसी गरज से झूठी शिकायते करता है। इस कारण अप्रार्थी प्रार्थी से विशेष हर्जा–खर्चा 50000/– प्राप्त करने का पात्र है।

अन्त में अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टे0एक्ट मय खर्चा खारिज़ फरमाया जावे उसने माननीय न्यायालय हाजा को भ्रमित कर जो एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दिनॉक 02.06.2017 को अप्रार्थी के विरूद्व प्राप्त कर ली है, उसे वेकेट किये जाने की कृपा करें , एवं प्रार्थी रामभगत से बतौर विशेष हर्जा खर्चा 50000/– रूपये वसूल कर माननीय न्यायालय हाजा के मार्फत अप्रार्थी रामशरण मोदी को दिलवाया जाने की कृपा करें।

जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया।

(8)

प्रकरण में पक्षकारों द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

1. छायाप्रति ऑशिक नकल नक्शा ग्राम सातलखेड़ी ख0न0 11 व 14
2. छायाप्रति नकल जमाबंदी ग्राम सातलखेड़ी 2070–73 खाता न0 201
3. छायाप्रति नकल ख0गि0 ग्राम सातलखेड़ी ख0न0 11 व 14
4. थानाधिकारी सुकेत को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र दिनॉक 11.05.2017
5. नकल ऑशिक फर्द मिलान ग्राम सातलखेड़ी 2004–2024
6. छायाप्रति ऑशिक नकल नक्शा ग्राम सातलखेड़ी सन् 2001–2002
7. खनिज अभियंता रामगंजमण्डी का कार्यालय आदेश 3277 दिनॉक 1.1.01 छायाप्रति
8. तहरीरी लिखावट द्वारा श्री बल्देवसिंहपुत्र रामकरण जाट बहक श्री रामजीदास मोदी दिनॉक 10.06.91
9. छायाप्रति नकल जमाबंदी ग्राम सातलखेड़ी 2049–52 खाता न0 81
10. विक्रयपत्र रजिस्टर्ड तादादी 900000/– द्वारा ए0एस0आई0 कम्पनी बहक प्रार्थी रजि0 न0 2010001465 दिनॉक 20.09.2010
11. अप्रार्थी की फर्म एम0एल0 45/91 के द्वारा दिनॉक 20.03.08 को खनिज अभियन्ता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति
12. अधीक्षण खनिज अभियन्ता कोटा के आदेश कमॉक 873 दिनॉक 26.02.09 की प्रति मय अन्य संलग्न दस्तावेजात
13. खनिज अभियन्ता रामगंजमण्डी के आदेश कमॉक 2126 दिनॉक 27.07.2012 की प्रति मय छायाप्रति पजीकृत डीड
14. खनिज अभियन्ता रामगंजमण्डी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी रामगंजमण्डी के पत्र कमॉक 1591 दिनॉक 23.06.2017 की प्रति मय छायाप्रति सूचना
15. खनिज अभियन्ता रामगंजमण्डी के पत्र कमॉक 1590 दिनॉक 22.06.2017 की प्रति मय मोका रिपोर्ट दिनॉक 09.06.17 व 19.06.2017
16. छायाप्रति रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा ए0एस0आई0 क0 बहक प्रार्थी तादादी 250000/– रजि0 न0 2011000187 02.02.2011
17. छायाप्रति विकयपत्र तादादी 198000 दिनॉक 20.08.1993 पु0 स0ं1 जिल्द सं0 42 कम सं0 389 पृ0सं0 189

18. छायाप्रति विकयपत्र तादादी 185900 दिनॉक 17.08.1993 पु0 सं01 जिल्द सं0 42 कम सं0 375 पृ0सं0 175
19. अप्रार्थी द्वारा उप पजीयक रामगंजमण्डी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लीज संख्या 25/90 एवं 45/91 के कम में जो वर्ष 2006–07 की मॉग निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया उसकी प्रमाणित प्रति की छायाप्रति मय अन्य संलग्न दस्तावेजात
20. राजस्थान सरकार खान विभाग के परिपत्र एफ 9 (4) माईन्स/जीआर द्वितीय/09 जयपुर दिनॉक 30.09.2010 की प्रति
21. प्रमाणित प्रति आदेशिका दिनॉक 21.11.2017 से 24.11.17 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी जिला कोटा प्रकरण संख्या 05/2017 रामशरण बनाम खनिज अभियन्ता
22. प्रमाणित प्रति वादपत्र प्रार्थना पत्र , फोटो की छायाप्रति ,शपथ पत्रादि मय एवं संशोधित टाईटल, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी जिला कोटा प्रकरण संख्या 05/2017 रामशरण बनाम खनिज अभियन्ता
23. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रयपुर में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 18756/2017 रामभगत बनाम रामशरण के रिट की प्रति
24. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रयपुर में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 18756/2017 रामभगत बनाम रामशरण में पारित आदेष दिनॉक 8.11.2017 की प्रति
25. माननीय सिविल न्यायाधीश रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 5/2017 में प्रस्तुत दीवानी मुत्त प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनॉक 20.12.2017 की छायाप्रति

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी विवादित भूमि का एकमात्र खातेदार कृषक एवं काबिज है। प्रार्थी को बिना मुआवजा भुगतान किये अप्रार्थी खनन कार्य करना चाहता है। वादगत भूमि पर सिविल कोर्ट ने भी कब्जा प्रार्थी का माना है। अप्रार्थी बिना प्रार्थी की लिखित सहमति को पजीबद्व करवाये खनन कार्य नहीं कर सकता। सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति का तथ्य सिविल कोर्ट ने प्रार्थी के पक्ष में तय किया है। मई 2017 में अप्रार्थी द्वारा मैरी भूमि पर खनन कार्य करने का प्रयास किया तो मैने खनिज विभाग में

शिकायत दर्ज करवाई तथा खनिज विभाग की रिपोर्ट में मैरी भूमि पर रामशरण मौदी द्वारा अवैध झडाई का कार्य करना पाया गया। मैने खनन कार्य हेतु कोई सहमति नहीं दी है। बल्देवसिंह ने 1993 में भूमि ए0एस0आई0 कम्पनी को बेचान कर संभला दी , बेचान की गई कुछ भूमि ए0एस0आई0 कम्पनी के लीज ऐरिया है तथा शेष भूमि बाहर है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी लीज होल्डर है। 2006 से 2009 तक प्रार्थी प्रतिवादी एवं पिताजी का मुख्त्यार आम रहा है। वाद विवाद के कारण 2009 में पावर आफॅ अटार्नी निरस्त कर दी। प्रार्थी मुख्त्यार आम होने से समस्त तथ्यों का जानकार था। प्रकरण वर्णित भूमि के बाबत बल्देवसिंह द्वारा ही लिखित सहमति दी हुई है। 1991 में सहमति का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं था। हमारी लीज नवनीकृत हो चुकी है। विभाग प्रार्थी के तथ्यों को मानता तो मैरी लीज को नहीं बढ़ाता । सहमति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। 1993 में बेचान तो किया गया किन्तु कब्जा लिया गया हो ऐसा प्रमाणित नहीं है। ए0एस0आई0 कम्पनी ने खरीद के बाद से आज तक प्रति0 को कोई नोटिस नहीं दिया है। बल्देवसिंह द्वारा बेचान की गई भूमि काश्त की भूमि नहीं है। वास्तव में यह भूमि खनन कार्य करने की भूमि है।

वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी नहीं है। न इस भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा रहा। उक्त आराजी पर प्रतिपक्षी का कब्जा चला आ रहा है, और प्रतिपक्षी ही इस भूमि पर काबिज है तथा खनन कार्य कर रहा है। अतः अप्रार्थी के खनन क्षेत्र में स्थित इस भूमि पर अप्रार्थी को खनन कार्य करते रहने दिया जावे। अप्रार्थी इस भूमि पर खनन कार्य करने हेतु पूर्व खातेदार को ही रकम का भुगतान कर चुका है और पूर्व खातेदार से सहमति प्राप्त कर चुका है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा माननीय न्यायालयों के दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये। हमने सम्मान सहित उक्त दृष्टान्तों का अवलोकन किया तथा उनका प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानगी बाबत विधिक विचार किया।

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई जाकर लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत में अंकित तथ्य , वॉच्छित अनुतोषादि, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब , जवाब में वर्णित तथ्य, वॉच्छित अनुतोष , उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत छायप्रति दस्तावेजात , तथा बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष पर सम्यक चिंतन मनन किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में सी0पी0सी0आदेश 39 नियम 1 व 3 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत सम्यक विचार किया गया।

हस्व नकल जमाबन्दी ग्राम सातलखेड़ी सम्वत् 2049–52 खाता नम्बर 81 पर खसरा नम्बर 9.10. व 11 बल्देवसिंह पुत्र रामकरण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। हस्व मिलान क्षेत्रफल बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 9 व 10 के हाल खसरा नम्बर 11 रकबा 0.16 है0 तथा 14 रकबा 0.58 हैक्टर पैमूद किये गये है। उक्त भूमि को बल्देव सिंह द्वारा ए0ए0आई0 कम्पनी तथा ए0 एस0 आई कम्पनी के द्वारा प्रार्थी को बेचान की गई है। जहॉ तक अप्रार्थी का यह तर्क है कि वादगत भूमि उसके खनन क्षेत्र में स्थित है तो यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योकि अप्रार्थी द्वारा उप पंजीयक को स्वयं ही लिख कर दिया है कि उक्त भूमि पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

हस्व नकल जमाबन्दी ग्राम सातलखेड़ी सम्वत् 2070–73 खाता नम्बर 201 पर खसरा नम्बर 11 व 14 किता 2 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि हस्व नकल खसरा गिरदावरी पड़त अंकित की हुई है। थानाधिकारी को सम्बोधित पत्र मात्र छायाप्रति है जिस पर किसी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। लिहाजा उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के स्तर पर सहज स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादगत भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी का इस भूमि पर प्रार्थी के हितों के विरूद्व या प्रार्थी के स्वत्वः के विपरीत कोई अख्त्यार हासिल हो ऐसा प्रकट नहीं होता है। लिहाजा प्रकरण वर्णित भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है।

प्रकरण वर्णित भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी दोनों में ही प्रार्थी बतौर खातेदार अभिधारी दर्ज है। विकयपत्र रजिस्टर्ड तादादी

900000/– द्वारा ए0एस0आई0 कम्पनी बहक प्रार्थी रजि0 न0 2010001465 दिनॉक 20.09.2010 में पेज नम्बर 3 के लाईन संख्या 6 व 7 में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि विकेता द्वारा प्रार्थी को कब्जा संभलाया गया है। इस रजिस्टर्ड दस्तोवज के समक्ष अप्रार्थी का यह मौखिक तर्क कोई अहमियत नहीं रखता कि विवादित भूमि पर उसका लगातार कब्जा चला आ रहा है। यदि कभी किसी अवधि में कुछ समय पर अप्रार्थी का कब्जा रहा भी हो तो उसे कब्जे की संज्ञा से नहीं नवाजा जा सकता। माननीय सिविल न्यायालय रामगंजमण्डी द्वारा भी अपने निर्णय दिनॉक 20.12.2017 में कब्जा प्रार्थी रामभगत का ही माना है तथा अप्रार्थी रामशरण का कब्जा होना स्वीकार नहीं किया है।

सुविधा के संतुलन में यह देखना आवश्यक है कि निषेधाज्ञा देने में अधिक अनिष्ट होगा या नहीं देने में अधिक अनिष्ट होगा ?

प्रार्थी वाद वर्णित भूमि का एकमात्र अभिलिखित खातेदार प्रकट होता है तथा वादगत भूमि पर अप्रार्थी का न तो किसी प्रकार का स्वत्वः प्रतीत होते है और न ही ऐसा कोई तथ्य ही प्रस्तुत किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसका वादगत भूमि पर सेटल्ड पजेशन है। विपरीत साक्ष्य के अभाव में भूमि के अभिलिखित खातेदार का कब्जा माना जाने की विधिक अवधारणा है। वैसे भी माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादगत भूमि पर प्रार्थी रामभगत का कब्जा होना तय किया जा चुका है।

अतः प्रकरण में इस बिन्दु पर सम्यक मनन के उपरान्त हम यह पाते है कि प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा वादगत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया गया है। तथा समुचित राशि भुगतान करने के उपरान्त कब्जा प्राप्त किया गया है। अप्रार्थी को वादगत भूमि से कोई सरोकार होना प्रकट नहीं होता है। यदि उक्त भूमि पर से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है या उक्त भूमि में खनन कार्य किया जाता है तो इससे प्रार्थी को ऐसी क्षति होना संभाव्य है जिसका ऑकलन मुद्रा के रूप में संभव ही न हो। इस प्रकार अपरिमित क्षति का तथ्य प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

प्रार्थी को या अप्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिष्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर या अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर ,किन्तु प्रार्थी के विधिक स्वत्वः की रक्षार्थ तथा वाद की मूल विषयवस्तु जो कि विवादित आराजी है को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने के मध्यनज़र प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी दौराने वाद प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 11 की रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 14 की 0.58 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते रहने दे, उसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी परिजन , अथवा ऐजेन्ट से करावे।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर159/17 के साथ संलग्न रहे ।

8/3/2018

(कृष्ण गौपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी,
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 08/03/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

8/3/2018

(कृष्ण गौपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी,
रामगजमण्डी

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी